

रिजेट पायागी हल्का / आर०एल०आर० कागज  
 पहला दस्तावेज में नाम मजोन्दुमा पुत्र शिवपाल रमा है। ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। (अता श्रीमान्) पप्पू पुत्र शिवपाल के द्याग पट मजोन्दुमा पुत्र शिवपाल दुरुस्त करने की जाकिशोफा की जाती है। परमंच गौडाल ही रिपोर्ट लेलक है।

कार्यालय तहसीलदार उदयपुरवाटी / गुढागौडजी

दिनांक 6/12/2021  
 पटवारी 11/11/2021

क्रमांक राजस्व / 2020 /

दिनांक -

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है / नहीं की जाती है।

दुरुस्त किया जाना उचित है

6/12/2021

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुझुनू (राज.)

- आदेश :-

दिनांक :-

प्राथी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (मू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 138 के अनुसरण में निम्नांकित वर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दस्तावेज के आदेश दिये जाते हैं।

| क्र.सं. | नाम | जमाबन्दी-सन्वत् | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।) |
|---------|-----|-----------------|-------------|----------------------------|---|
| 1       | कीट | 2075-78         | 130         | पप्पू पु० शिवपाल           | मजोन्दुमा पु० शिवपाल  |

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की जाना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 6/12/21

क्र.सं. राजस्व / 2020 / 1990

लेख :- तहसीलदार (मू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को वास्ते पालनार्थ।

2. प्रार्थी / प्रार्थीया

को सूचनाार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

